न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या— 75/2024

वादीः—

अनिल पटेल पुत्र हुकमाराम जाति कुम्हार(कुमावत) पेशा सरकारी नौकरी(पुलिस) निवासी बेरा जोधावा बिजासनी रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. इन्द्रा पुत्री बगदाराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी सांगरो की उच्छल मालकोसनी रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. नेमीचन्द पुत्र स्व.उरजाराम
3. पारसराम पुत्र स्व.उरजाराम
4. सत्यनारायण पुत्र स्व.उरजाराम
5. सेणीदेवी पत्नी स्व.उरजाराम
6. प्रेम पुत्री स्व.उरजाराम जातियान कुम्हार(प्रजापति) निवासी सांगरो की उच्छल मालकोसनी रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
7. ओमप्रकाश पुत्र बगदाराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी सांगरो की उच्छल मालकोसनी रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
8. ओमप्रकाश पुत्र उरजाराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी बेरा जोधावा बिजासनी रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
9. किशोर पुत्र कालूराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी सांगरो की उच्छल मालकोसनी रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
10. जगदीश सांगर पुत्र बगदाराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी सांगरो की उच्छल मालकोसनी रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
11. जालाराम पुत्र उरजाराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी बेरा जोधावा बिजासनी रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
12. तेजाराम पुत्र जोगाराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी बेरा जोधावा बीजासनी रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
13. नारायणराम पुत्र कालूराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी सांगरो की उच्छल मालकोसनी रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
14. पानीदेवी पत्नी बगदाराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी सांगरो की उच्छल मालकोसनी रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
15. मदनलाल पुत्र कालूराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी सांगरो की उच्छल मालकोसनी रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
16. मोहनलाल पुत्र गोपाराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी सांगरो की उच्छल मालकोसनी रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

17.रमेशसिंह पुत्र बगदाराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी सांगरो की उच्छल मालकोसनी रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
18.लादूराम पुत्र हुकमाराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी बेरा जोधावा बीजासनी रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
19.सोहनलाल पुत्र गोपाराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी बेरा जोधावा बीजासनी रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
20.लादूराम पुत्र कालूराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी सांगरो की उच्छल मालकोसनी रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
21.सोहनलाल पुत्र सुराराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी सांगरो की उच्छल मालकोसनी रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
22.हनुमानराम पुत्र सुराराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी सांगरो की उच्छल मालकोसनी रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
23.हापूराम पुत्र तेजाराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी सांगरो की उच्छल मालकोसनी रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
24.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बाबत घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती

उपस्थितिः—वादी की ओर से श्री इन्द्रजीत गोयल एडवोकेट।
प्रतिवादी सं. 11, 16 व 18 की ओर से श्री पूनाराम सीरवी एडवोकेट।
प्रतिवादी सं. 1से10, 12से15, 17, 19 से 23 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी सं. 24— सरकारी पेरोकार।

<u>निर्णय</u> दिनांकः— 13/01/25

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिलाड़ा चक नं. 3 तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की राजस्व में खसरा नम्बर 33 रकबा 0.0566 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 34 रकबा 17.1023 हैक्टेयर किस्म चाही पंचम कुल खसरा 2 कुल रकबा 17.1589 हैक्टेयर आयी हुयी है। जिसमें वादी का 5/192 हिस्सा निहित है, जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 से स्पष्ट है। जिसकी प्रति वाद के साथ संलग्न है। उपरोक्त खसरान की भूमि को वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि के सुधार कार्य हेतु एक माह पहले वादी को ऋण की आवश्यकता हुई तो वादी बैंक मैनेजर साहब के समक्ष अपने सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, राजस्थान पुलिस आई.डी.कार्ड, पहचान पत्र, विद्यालय रेकर्ड की प्रति, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंक तालिका, बी.एस.सी. की अंक तालिका, मूल निवास प्रमाण पत्र, जनआधारकार्ड, जाति प्रमाण पत्र व वादग्रस्त एवं अन्य कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड आदि पेश किये। जिसे देखकर बैंक मैनेजर ने बताया कि राजस्व रेकर्ड में तो आपका नाम श्रवण कुमार दर्ज है तथा सरकारी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

दस्तावेजात में आपका नाम अनिल पटेल दर्ज है। इसलिए आपको बैक से ऋण प्राप्त नही हो सकता, तब वादी को यह जानकारी हैरानी हुई और वादी ने हल्का पटवारी से सम्पर्क किया और हल्का पटवारी को उक्त लिपिकीय त्रुटी बाबत् बताया तो हल्का पटवारी ने राजस्व रेकर्ड देखकर बताया कि आपके नाम से वादग्रस्त कृषि भूमि खरीदते समय बैचाननामा में आपके पिताजी द्वारा रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 12.04.2002 में भूलवश आपका नाम घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम श्रवण कुमार पुत्र हुकमाराम लिखवा दिया। इस कारण जरिये म्यूटेशन संख्या 5896 दिनांक 16.05.2002 के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में इन्द्राज किया गया। तब से वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी का नाम श्रवण कुमार पुत्र हुकमाराम दर्ज चला आ रहा है। जबकि वादी का सही नाम अनिल पटेल पुत्र हुकमाराम है। जिस पर वादी ने वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपने नाम श्रवण कुमार के स्थान पर शुद्ध व सही नाम अनिल पटेल को बैचाननामा दिनांक 12.04.2002 में दर्ज करवाने हेतु दिनांक 02.03.2024 को बैचानकर्ता जोगाराम पुत्र श्री दूदाराम, जाति कुम्हार निवासी बिलाड़ा के घर जाकर पता किया तो यह ज्ञात हुआ कि जोगाराम जी का करीब 14 वर्ष पूर्व देहान्त हो चुका है। इसलिए उक्त बैचाननामा में संशोधन नहीं करवाया जा सकता। लेकिन वादी का नाम श्रवण कुमार के स्थान पर अनिल पटेल तथा राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादी की जाति कुम्हार (प्रजापति) के स्थान पर कुम्हार (कुमावत) जाति प्रमाण पत्र के अनुसार दुरूस्त करवाया जाना अति आवश्यक है। जिसके लिए यह वाद बाबत् घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादी का सही नाम अनिल पटेल पुत्र पुत्र हुकमाराम है, जिसके सम्बंध में सरकारी दस्तावेजात आधारकार्ड, राजस्थान पुलिस आई.डी.कार्ड, पहचान पत्र, विद्यालय रेकर्ड की प्रति, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंक तालिका, बी.एस.सी. की अंक तालिका, मूल निवास प्रमाण पत्र, जनआधारकार्ड, जाति प्रमाण पत्र तथा ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा में वादी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 312/2 रकबा 0.2832 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 318 रकबा 0.6957 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में उसका सही नाम अनिल पटेल दर्ज है तथा वादी वादग्रस्त कृषि भूमि में घर पर प्यार से स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम श्रवण कुमार पुत्र हुकमाराम के स्थान पर उपरोक्त सही नाम अनिल पटेल पुत्र हुकमाराम तथा वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादी की अशुद्ध जाति कुम्हार (प्रजापति) के स्थान पर वादी के जाति प्रमाण पत्र में दर्ज अनुसार कुम्हार (कुमावत) दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 24 को निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 24 ने वादी को यह कहते हुए मना कर दिया कि इस हेतु प्रतिवादी संख्या 24 सक्षम नही है। वादी इस हेतु सक्षम न्यायालय में वाद पेश करे। वादी का वादग्रस्त कृषि भूमि में दर्ज गलत

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

नाम श्रवण कुमार पुत्र हुकमाराम के कारण वादी वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में मिलने वाली समस्त सरकारी सुविधाए प्राप्त नही कर पा रहा है तथा न ही अपनी उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में सुधार हेतु बैंक से ऋण प्राप्त कर पा रहा है। क्योकि वादी का वादग्रस्त कृषि भूमि में दर्ज गलत नाम श्रवण कुमार पुत्र हुकमाराम वादी के सरकारी दस्तावेज में दर्ज सही नाम अनिल पटेल पुत्र हुकमाराम से मिलान नही करता है। इसलिए वादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि में दर्ज वादी के गलत नाम श्रवण कुमार पुत्र हुकमाराम के स्थान पर सही नाम अनिल पटेल पुत्र हुकमाराम तथा राजस्व रेकर्ड में दर्ज अशुद्ध जाति कुम्हार (प्रजापति) के स्थान पर शुद्ध जाति कुम्हार (कुमावत) दुरूस्त किये जाने हेतु यह वाद बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार उरजाराम पुत्र श्री मूलाराम का देहान्त हो चुका है, जिसके वारिसान के रूप में प्रतिवादी संख्या 2 से 6 को वाद पत्र में पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज अन्य सहखातेदारान का हिस्सा प्रभावित नहीं होने से जिस बैंक में रहन है, उस बैंक को पक्षकार नही बनाया गया है। वादकारण दिनांक 02.03.2024 को हल्का पटवारी बिलाडा चक 3 से राजस्व रेकर्ड की नकल प्राप्त करने पर तथा बैंक मैनेजर द्वारा ऋण देने से मना करने पर बमुकाम ग्राम बिलाडा चक 3 तहसील बिलाड़ा में उत्पन्न हुआ। जो सतत् जारी है। उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम बिलाडा चक 3 तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित होने से तथा वाद बाबत् रेकर्ड का होने से प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है।

अन्त में वादी द्वारा निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक 3 तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 33 रकबा 0.0566 हैक्टेयर किस्म गै. मु. बेरा, खसरा नम्बर 34 रकबा 17.1023 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम की चालु जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में वादी का गलत दर्ज नाम श्रवण कुमार पुत्र हुकमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) हिस्सा 5/192 के स्थान पर सही नाम अनिल पटेल पुत्र हुकमाराम जाति कुम्हार (कुमावत) हिस्सा 5/192 दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमावे तथा मुताबिक आदेश के अनुसार दुरूस्ती का म्यूटेशन दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 24 तहसीलदार बिलाड़ा को आदेशित किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी सं. 11, 16 व 18 की ओर से श्री पूनाराम सीरवी अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा, साक्ष्य शपथ पत्र सहित पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 11, 16 व 18 ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

कर वादी अनिल पटेल व श्रवण कुमार दोनों को एक ही व्यक्ति होना स्वीकार किया है। प्रतिवादी सं. 1 से 10, 12 से 15, 17, 19 से 23 को उपस्थित होने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी सं.1 से 10, 12 से 15, 17, 19 से 23 के विरूद्ध दिनांक 16.10.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी सं. 24 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवार मण्डल बिलाडा चक 3 के राजस्व रेकर्ड वर्तमान जमाबंदी चौसाला 2076 से 2079 के खाता सं. 66 में खसरा नंबर 33 रकबा 0.0566 हैक्टयर किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नंबर 34 किस्म चा.चतुर्थ रकबा 17.1023 हैक्टयर में खातेदार श्रवणकुमार पुत्र हुक्माराम हि. 5/192 जाति कुम्हार(प्रजापति) सा.देह खातेदार दर्ज है। वादी का नाम प्रथम बार राजस्व रेकर्ड में नामा. सं. 5896 बैचान के जरिये ओमप्रकाश, जालाराम पि. उरजाराम, मोहनलाल सोहनलाल पुत्र गोपाराम, लादूराम श्रवणकुमार पि. हुकमाराम नाबालिग के कुदरती वली पिता हुकमाराम पुत्र दूदाराम, जोगाराम पुत्र दूदाराम व हापूराम पुत्र तेजाराम दर्ज हुआ। वादी द्वारा प्रस्तुत सरकारी/निजी दस्तावेज आधार कार्ड पहचान कार्ड, सर्विस रेकार्ड, टी सीं व अंकतालिका में अपना नाम अनिल पटेल पुत्र हुक्माराम दर्ज होना बताया।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम बिलाडा चक नं. 3 की सीमा में स्थित खसरा नंबर 33 रकबा 0.0566 हैक्टयर व खसरा नंबर 34 रकबा 17.1023 हैक्टयर में चालू जमाबंदी के खाता सं. 66 में दर्ज गलत इन्द्राज श्रवणकुमार पुत्र हुक्माराम जाति कुम्हार (प्रजापति) हि. 5/192 के स्थान पर अनिल पटेल पुत्र हुकमाराम जाति कुम्हार(कुमावत) हि. 5/192 किये जाने की अनुशंषा की जाती है। प्रतिवादीगण की ओर से दावा का खण्डन नहीं होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसें शामिल पत्रावली किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र अनिल पटेल पुत्र हुकमाराम का पेश किया गया।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खसरा नम्बर 33, 34 ग्राम बिलाडा चक 3, प्रदर्श 2 आधारकार्ड, प्रदर्श 3 मा.शि. बोर्ड राज. से जारी प्रमाण पत्र अंक तालिका आदि प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 आधार कार्ड अनिल पटेल पुत्र हुकमाराम, प्रदर्श 2 राज.पुलिस पहचान पत्र अनिल पटेल, प्रदर्श 3 पहचान पत्र अनिल पटेल पुत्र हुक्माराम, प्रदर्श 4 मा.शिक्षा बोर्ड राज. से जारी अंकतालिका अनिल पटेल, प्रदर्श 5 स्नातक स्तर की अंकतालिका अनिल पटेल, प्रदर्श 6 मूल निवास प्रमाण पत्र अनिल पटेल पुत्र हुकमाराम,

कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रदर्श 7 जाति प्रमाण पत्र अनिल पटेल पुत्र हुकमाराम, प्रदर्श 8 जनआधार कार्ड अनिल पटेल आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी के सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम अनिल पटेल पुत्र हुकमाराम दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम श्रवण कुमार पुत्र हुकमाराम जाति कुम्हार(प्रजापति) के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी राजस्व रेकर्ड में अपना नाम अनिल पटेल पुत्र हुकमाराम जाति कुम्हार (कुमावत) की घोषणा कराने का अधिकारी है। साथ ही भूमिधारी ने श्रवण कुमार पुत्र हुकमाराम जाति कुम्हार(प्रजापति) के स्थान पर अनिल पटेल पुत्र हुकमाराम जाति कुम्हार(कुमावत) किये जाने की रिपोर्ट पेश की है। प्रतिवादी सं. 11, 16 व 18 द्वारा भी साक्ष्य शपथ पत्र पेश कर वादी अनिल पटेल व श्रवण कुमार दोनों को एक ही व्यक्ति होना स्वीकार किया है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बिलाडा चक नं. 3 के खसरा नम्बर 33 रकबा 0.0566 हैक्टयर तथा खसरा नंबर 34 रकबा 17.1023 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में श्रवण कुमार पुत्र हुकमाराम जाति कुम्हार(प्रजापति) के स्थान पर अनिल पटेल पुत्र हुकमाराम जाति कुम्हार(कुमावत) की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 13/01/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस. वादी**

वादी
अनिल पटेल

बनाम

प्रतिवादी
इन्द्रा वगैराह

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बाबत घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती

राजस्व वाद संख्या :– 75 / 2024

निर्णय **दिनांक :–** 13/01/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री इन्द्रजीत गोयल अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 11, 16 व 18 की ओर से श्री पूनाराम सीरवी एडवोकेट, प्रतिवादी सं. 1 से 10, 12 से 15, 17, 19 से 23 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं. 24 सरकारी पैरोकार मिनजांनिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बिलाडा चक नं. 3 के खसरा नम्बर 33 रकबा 0.0566 हैक्टयर तथा खसरा नंबर 34 रकबा 17.1023 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में श्रवण कुमार पुत्र हुकमाराम जाति कुम्हार(प्रजापति) के स्थान पर अनिल पटेल पुत्र हुकमाराम जाति कुम्हार(कुमावत) की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

तीज — मुबलिग — बाबत् —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			दर0 तलबाना		
			मीजान		
मीजान					

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा